

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक. ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-134/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती नर्सरी चेरियन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य मलवास, दौसा जिनकी जन्मतिथि 30.09.1966 एव राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14.12.1988 है, को उनकी रव्य की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 01.09.2019 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

इनके विरुद्ध आज दिवस तक.-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम-1953 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-134/2019/1174
प्रांतिविधि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक.- 1-8-2019

- 1 निजी सचिव, मागनीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 2479/MMH/19 दिनांक 17.07.2019 की अनुपालना में।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 4503 दिनांक 17.07.2019 के क्रम में।
- 3 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
- 5 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दौसा।
- 6 पेशनर्स रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 आदेश/रक्षित प्रभावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर